

फंद अहकाम

(नियम 26)

नाम बराबर इपलवण कोषिकारी मुकाम खेत
गांधी नाली बराम खावला पट्टा नाली
 जिल्ला मुकदमा प्रा.पं. नं. 33 बर्ष 2015

कार्यक्रम दिनांक	दुकान या कार्यवाही मय इतिशियलक मय	मकदम या कारीज मकदम को मय दुकान को कारीज के मारी दुक
---------------------	-----------------------------------	--

12-11-16

प्रजावली आज वाकई लोकादालत
 मुकाम खेत के पत्रे दुर्ग। पत्रकारा
 उममपक्ष कावजुद खेत के दुकान के
 उपस्थित नहीं। दुकान के राजा पक्ष की
 कोर के रिपोर्ट तहसीलदार खेत,
 रिपोर्ट दलका पवारी, तहसीलदार
 कोरका पत्रा रिपोर्ट पर लिखे जाकर वाकिल
 प्रजावली लिखे गए। प्रस्तुत रिपोर्टिनुसार
 मौजा खेत के आराजी कंख्या 5169,
 5170, 5171, 5172, 5173, 5174,
 5180, 5182, 5185 का पवारी दलका
 के तहका रिपोर्ट पर प्रजावली
 आराजिमात पर पत्र लिखे हेतु रास्ता पहले
 से ही उपलब्ध है। किसी प्रकार का
 अवरोध नहीं है तहका पर प्रजावली के लिए
 आपनी आराजिमात से जाने हेतु आराजी के
 5189, 5170, 5184 पहले से ही तहसीलदार
 है जिसकी तहसीलदार रिपोर्ट तहसीलदार
 खेत व दलका पवारी तहका पत्रा से
 होती है प्रजावली केवल धुन कर जाने की
 जमानत का प्रजावली की आराजिमात के
 से होकर गुजरना चाहता है। तहका
 उल्लेख की पवारी दलका रिपोर्ट के

तारीख
हृष्य

हृष्य या कार्यवाही मय इनिशियलस बंध

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हृष्य की सामील
में जारी हुए

क्रिया गमा है

१११ प्रजावली पर उपलब्ध सभी
दस्तावेजों का अध्ययन न करके क्रिया
शुद्धी-पार्श्व और अपनी आयोजना पर प्रयुक्त
हेतु वस्तु पहले से ही मौजूद है। जहाँ
केवल मात्र 100 बीए गुणक पर के
अज्ञान सिद्धे शपथियों की आयोजना
से से होकर गुजरना चाहता है जो कि
मेरे मतानुसार न्यायिक दृष्टि से उचित
उचित नहीं होता है।

अतः पार्श्व का पार्श्व पर अन्तर्गत
धारा 251 क विरुद्ध विपक्षीयता व्यापक
क्रिया करने के अन्तर्गत प्रदत्त किये जाते हैं
प्रजावली न. के अन्तर्गत जो प्रकृत प्रकृत गुणक
हैं। विधि के अनुसार सुनाया गया।